

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (सी०टी०ई०), सहरसा।

संशोधित पत्र

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-आदेश पत्रांक: 138, दिनांक: 17.05.2021
में आंशिक संशोधन करते हुए सभी सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचित किया
जाता है कि:-

1. जिन अभ्यर्थी का सेलेक्शन EWS कोटि में हुआ है, उन्हें EWS Certificate नामांकन से सम्बन्धित कागजातों के साथ लगाना अनिवार्य है।
2. सभी सम्बन्धित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नामांकन शुल्क केवल On-Line Payment के माध्यम से मान्य होगा।


प्राचार्य

सी० टी० ई०, सहरसा